IPO/509/RTI/MEA/15 Rs.10

1553/15

डायरी संख्या
Dy. No. 4541 /RTI Sec./2015
दिनांक/Date 21/07/2015

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी विदेश मंत्रालय,
जवाहर लाल नेहरू भवन,
23 जनपथ, नई दिल्ली -110011

<u>विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने बारे</u>

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आवेदक निम्न सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाहता है । इसके लिए निर्धारित 50/- रूपये फीस भारतीय पोस्टल आर्डर / रसीद नं0 .866600 274. दिनांक 15.7.15 इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त मांगी गई सूचना देने में कागजों आदि पर विभाग का कोई अन्य खर्चा लगता है तो नियम के अनुसार आवेदनक उक्त खर्चा देने का पाबन्द रहेगा ।

1.	आवेदक का नाम व पता	बैष्णों देवी पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र जयदयाल निवासी गांव दादरी तोए तह0 व जिला झज्जर (हरियाणा) । पिन कोड नं0 124103 मो0 नं0 09729258409
2.	सूचना जिस माध्यम से चाहिए	सभी ममलों की प्रमाणित प्रतियां, राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में अंकित कोपी प्रार्थीया को 15 दिन के अन्दर- अन्दर दी जाये ।

US(NSV/me)
21/7
SO(RTI)
21/7

3.	सूचना का माध्यम		रजिस्टर्ड डाक द्वारा
4.	सूचना जो चाहिए	:-	

1. यह कि प्रार्थीया का पति स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र जयदयाल निवासी गांव दादरी तोए तह0 व जिला झज्जर (हरियाणा) आपके विभाग में बतौर चालक (Chauffer) के पद पर, पी.ई. सैक्शन में कार्यरत था, जिसकी ड्यूटी के दौरान दिनांक 29-7-2005 को मृत्यु हो गई थी ।
2. यह कि आपके विभाग के नियमों के अनुसार स्व0 राधेश्याम के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को आपके विभाग में नौकरी दी जानी थी, जबकि प्रार्थीया के बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी आपके विभाग ने उसके परिवार में से किसी को नौकरी ना दी, जबकि प्रार्थीया व उसका पुत्र आपके विभाग में किसी भी पद पर नौकरी करने को तैयार है ? इसका कारण बताया जाये ?
3. यह कि प्रार्थीया के पुत्र संदीप को आपके विभाग ने एल. डी.सी. की नौकरी के लिए उपयुक्त उम्मीद्वार मानते हुए उसका नाम वेटिंग लिस्ट में डाला था और उसको आश्वासन दिया था कि हमारे पास वेकेंसी आते ही हम आपको उपरोक्त पोस्ट पर नौकरी दे देंगे ? लेकिन अब आपके विभाग द्वारा उपरोक्त नौकरी देने से इन्कार किया जा रहा है । इन्कार के कारण का पूर्ण विवरण' बताया जावे ?

	4. यह कि आपके विभाग द्वारा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी देने के क्या प्रावधान है ? उसकी पूरी जानकारी दी जावे । उक्त सभी सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सम्बन्धित विभाग की सम्बन्धित रिकार्ड से रिकार्ड की सत्यापित कोपी दी जावे।

उपरोक्त बिन्दु में मांगी गई जानकारी निर्धारित समय अवधि के अन्दर प्रार्थीया के पते पर उपलब्ध करवाने का कष्ट करे । यह मांगी गई सूचना या इसका कोई भाग आपके कार्यालय से सम्बन्धित ना हो तो इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) / 5(4) के तहत सम्बन्धित कार्यालय को भेजते हुए प्रार्थी को भी सूचित करें।

प्रार्थीया

R.T.I. Act
बैष्णों देवी

बैष्णों देवी पत्नी स्व0 श्री राधेश्याम पुत्र जयदयाल निवासी गांव दादरी तोए तह0 व जिला झज्जर (हरियाणा) । पिन कोड नं0 124103

मो0 नं0 09729258409

झज्जर/15-7-2015

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

सं. क्यू/वेलफेयर/851/6/2015

17 अगस्त, 2015

श्रीमती बिष्नो देवी
पत्नी - स्व. राधेश्याम
गांव - दादरी
तहसील तथा जिला - झज्जर

प्रिय श्रीमती बिष्नो,

कृपया आप कल्याण अनुभाग में प्राप्त दिनांक 15 जुलाई, 2015 के अपने पत्र का संदर्भ लें, जिसमें आपने अनुकंपा आधार पर की गई भर्ती के संबंध में सूचना का अधिकार के माध्यम से सूचना मांगी है।

2. आपके प्रश्नों का उत्तर नीचे दिया गया है।

क. केंद्र सरकार के तहत कार्य करने वाले कार्मिकों के आश्रितों की अनुकंपा आधार पर भर्ती करने संबंधी मौजूदा निर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती कोटा में 5% तक सीटों को अनुकंपा आधार पर भरने के लिए खाली रखा जाता है। ऐसे पदों की संख्या सीमित है।

ख. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार सरकारी कार्मिक की मृत्यु/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष तक के आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप कई अन्य आवेदकों के साथ आपके पुत्र श्री संदीप के नाम पर भी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया गया था। किसी वर्ष विशेष में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या 1 से 2 थी, जबकि उस वर्ष 30-40 आवेदनों पर विचार किया गया था।

ग. आपने यह दावा किया है कि आपके पुत्र को आश्वासन दिया गया था कि रिक्ति उपलब्ध होते ही उन्हें नियुक्ति मिल जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्रालय ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। सभी भावी उम्मीदवारों को कल्याण विभाग द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल कर लिया गया है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति द्वारा अन्य आवेदकों के साथ उनके नाम पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

...2

3. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों को श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री ने 11 दिसंबर, 2014 के अपने पत्र द्वारा श्री ओम प्रकाश धनकड़, कृषि मंत्री, हरियाणा को भेज दिया गया है (प्रति संलग्न)।

आपका,

(वाई. के. शुक्ला)
अवर सचिव (कल्याण एवं सी पी आई ओ)
दूरभाषः 49015231
फैक्सः 49015233

प्रति सूचनार्थ

1. अवर सचिव (आर टी आई)
2. उप सचिव (डी डी) को ईमेल द्वारा dsdd@meaindia.in पर
3. प्रचार अधिकारी (एक्स एम एम) को ईमेल द्वारा poxmm@meaindia.in पर

श मंत्री एवं
ारतीय कार्य मंत्री
भारत

सत्यमेव जयते

सुषमा स्वराज
Sushma Swaraj

Minister of External Affairs &
Overseas Indian Affairs
India

9589|EAM|2015
13 जनवरी, 2015

प्रिय श्री धनखड़ जी,

कृपया आप अपने पत्र क्रमांक 101/एएम/2014 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 का अवलोकन करे। जिसमें आपने श्री संदीप के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रार्थना पत्र को अग्रेषित किया था। इनके पिता श्री राधेश्याम की मृत्यु इस मंत्रालय में चालक के पद पर कार्यरत रहते हुए हो गई थी।

2. मैंने मामले की जांच करवाई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार सीधे तौर पर की जा रही भर्ती के कोटे में से पांच प्रतिशत रिक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर भरा जा सकता है। इस प्रकार के पदो की संख्या सीमित है।

3. वर्ष 2012 में जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रतिक्षा सूची में एक अभ्यर्थी का नाम पांच वर्ष तक रखा जा सकता है। वर्ष 2003 में जारी मार्ग निर्देश के आधार पर श्री संदीप के मामले पर विचार किया गया, जिसके अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रतिक्षा सूची में एक अभ्यर्थी का नाम तीन वर्ष तक रखा जा सकता है।

4. अतः नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलें में श्री संदीप के अनुरोध पर आगे विचार संभव नहीं है।

सद्भावनाओं सहित,

शुभेच्छु

सुषमा स्वराज

श्री ओम प्रकाश धनखड़
कृषि, विकास एवं पंचायत, सिंचाई,
पशुपालन एवं डेरी तथा मत्स्य पालन मंत्री
हरियाणा सरकार